FORM-I

(For linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Garhwal

No-122/19

Dated 15/4/2019

## TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3" August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5" February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.125 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Construction Division, P.W.D. Pauri for Construction of Motor Road (purpose for diversion of forest land) in Pauri Garhwal District falls within jurisdiction of Chama pani, Dhoul kandi village (s) in Sri nagar tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.125 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 01 to annexure 02
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

(Dhirai Singh Garbyal) Batter Glacifi Karhwal FORM-II

(For linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Garhwal

No- 2-122/19

To WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

Dated 15/4/2019

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3 August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 2.125 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Construction Division, P.W.D. Pauri for Construction of Chamapani-Dhaul Kandi Motor Road Extr. Upto Kanda Mandir (purpose for diversion of forest land) in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of of Chamapani, Dhoul kandi village (s) in Sri Nagar tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.125 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure annexure 01 to annexure 02
- (b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion: a copy of certificate issued by the garm sabha of Dhaul Kandi villages is enclosed as annexure 01 to annexure 02
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

(Dhird Singth Garbyal) Diorner Collegions Gartiwa

Annexure....

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Garhwal (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Garhwal District constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dhiraj Singh Garbyal, I.A.S., deputy commissioner, Pauri on dated 15.14.1.209... at time 12.145... am.at Pauri in which the application claiming rights in area measuring 2.125 Hectare for the construction of From Dehalchauri-Pauri Motor Road to Chamapani-Daulkandi upto Kanda Mandir of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Kot sub division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level Committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Pauri,

Dated: .....

Deputy Commissioner cum-Chairman District Edvel Committee

मन्या त

# It is further Certified that minutes of meeting of Construction of From Dehalchauri-Pauri Motor Road to Chamapani-Daulkandi upto Kanda Mandir Motor Road (5.000 Km.) regarding FRA is as following:

SI .No.		Remarks
(a)	The complete process of identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 2.125 hectares area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Sub Division level Committee(s) are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversions of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have been given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No Objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre agricultural Communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and othe traditional forest Dwellers.

Member District Board Pauri Garhwal

District Social Welfard Officer

Divisional Forest Officer

विश्वील एवं सीयम वन प्रश्नाम भीडी

Executive Engineer Construction Division PWD, Pauri Deputy Commissioner

गदवाल

# निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (यन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त कोट ब्लॉक में जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर में देहलचौरी—पौड़ी मोटर मार्ग से चामापानी—धौलकण्डी होते हुये कांडा मन्दिर तक मोटर का निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.000) हेतु प्रस्तावित सिविल भूमि 2.125 हे0 लोठनिठविठ को उपखण्ड स्तरीय समिति की संस्ति के आधार पर जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यवर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी। सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

जिल्ह्याहरू गुलांल) जिल्ह्याहरू स्टब्स्ट्रिंग जिल्ह्याहरू स्टब्स्ट्रिंग

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत देहलचूँगेरी-पौड़ मोटर मार्ग से चामापानी-धौलकण्डी होते हुये कांडा मन्दिर तक मोटर् की निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.000)

> कार्यालय उप जिलाधिकारी, सतपुली अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, पोखडा

उपखण्ड श्रीनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत श्रीनगर (0.000 है0 आरक्षित वन भूमि, 2.125 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.000 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 2.125 है0 वन भूमि ) का निर्माण खण्ड, लोठनिठविठ, पौड़ी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील श्रीनगर) की दिनांक को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006
एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ... उप
जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय
सदस्यों की उपस्थिति निम्पुन्सार है।

1- श्री माननीय उपजिलाधिकारी अध्यक्ष उपज्ञान है।
3828 अध्यक्ष उपज्ञान समा बैंदि
2- श्री स्वार्थ विकास प्रमागीय वनाधिकारी मिकार विवार विकास समा बैंदि

3- श्री र प्राची कर्मा के सम्बाज कर्मा कर्म कर्मा करिया कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा करिया कर्मा करिया कर्मा करिया कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा करिया करिया करिया करिया कर्मा करिया करि

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि देहलचौरी-पौड मोटर मार्ग से चामापानी-धौलकण्डी होते हुये कांडा मन्दिर तक मोटर परियोजना हेतु 2.125 हैं। वन भूमि

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रमानीय वनाधिकारी, \_\_\_\_\_\_ हारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम समा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड श्रीनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत देहलचौरी—पौड़ी मोटर मार्ग से चामापानी—धौलकण्डी होते हुये कांडा मन्दिर तक मोटर परियोजना के निर्माण हेतु 2.125 है। वन भूमि निर्माण खण्ड, लोग्गिगिविश पौड़ी प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति उपिकारील-श्रीनगर जनपद पाल खढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील-श्रीनगर जनपद पौड़ी गढ़वाल

> उपजिल्लाधिकारा श्रीनगर ग्रहमान

परियोजना का नाम :- जनपद पाँड़ी गढ़वाल के विधानसमा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत देहलचौरी-पाँड़ मोटर मार्ग से चामापानी-धौलकण्डी होते हुये कांडा मन्दिर तक मोटर का निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.000)

> वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम तलगल तहसील श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत देहलचौरी-पौड़ मोटर मार्ग से चामापानी-धौलकण्डी होते हुये कांडा मन्दिर तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.125 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि 0.00 हे0) अर्थात कुल 2.125 हे0 वन भूमि का निर्माण खण्ड, लोठनिठविठ, पौड़ी विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने

हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत <u>धौलकण्डी</u> द्वारा दिनांक <u>98 न्द-9618</u> को सम्पन्न ग्राम समा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्मत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चामानानी व धौलकण्डी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लोठनिठविठ, पौड़ी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



810e/F/BE

# दिनांक अर्थ कि को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

### ग्राम प्रयायत धौलकण्डी

क्रमाक	ग्राम समा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्तकार
	2 9 1	0.1
	न्यमवायावह द्यानकरी	08 8.2
	मिशितिह द्योपनाएडी	विवाहितास ह
	अर्दे रिवह द्यानाकारा	Sell away
	प्रावर सिंह गोरखा. डीलक 3/	र्भावर
	दिनेशा रावत धीलवर्डी	दिनेश रावत
	5134 (14 - Eliones)	mal (15
	रिनिन्द्र सिल्ट्रान्त - द्योक्यकी	(विक
	बलवीर वाल पानुपानी	oxyel/201/21
_	विवीत देनी - चाभपाणी	विविद्या देवी
		0 , 1 , ,
	- A-	Kujenora
	अध्या - न्यभणावर्	न उनि लिल
	19 HEVEN4411410	2 stortes
	स्ति। इत्र स्वित्रानी	See 1
	अभिराम खड़ेडी मो दिगाड	के भी भार के
	अमिरास स्टेडिंग न्या करपाना	भागायाम
	Sandre Khandury - apolizad	Sandeal.
_		2015
_	निर्मात ने मार ने निर्मात ने मार्थ ने महिन्द्री है।	(त्रावम्लाक्साव
_	0 10 10	
	चितामणी चप्रोली - भारति।	THAME
	्यासवानन्द . रादिमाड	ditus
	स्वपात - उपेदांभार	EA, 111
	42107 - 311417115	Skinging



अनापन प्रमाण पर्व ग्राम पर्वायत बोलकाडी व वामपानी एवं गोदीगाँद से जीने वाकी सड़क निर्माण में ग्राम प्रवापत कहाली के ग्राम वाभियों की कोई सापति नहीं है।

स्यान प्रमान के विकास

W नियामधी नामा की (3) 3114019 -anim (4) constant ghis - which (5) (6) BRET-20-E-ANON-(7) H-914 18 मिछापु डिगवाल the son solve (A) (B) (B) May Lin Plant राजेन्य असाप

Excusion material

Fredrich material

Source and only

Character and only

Sender

Sen